

13/10/25

उभयपक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय में कोई वार  
आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं  
आया। अतः वादपत्र/प्रा० पत्र अदम हाजिर एवं  
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता  
है। पत्रावली फ़ैसला शुमार न. से कम की जाकर  
दाखिल दफ़्तर हो।

✓